शिक्षा, भाषा और बच्चों का मानसिक विकास

*रवि पी. भाटिया**

शिक्षा द्वारा बच्चों के मानसिक विकास की प्रक्रिया में भाषा की अहम् भूमिका है। भाषाएँ वे माध्यम हैं जिनसे अधिकतर ज्ञान का निर्माण होता है और इसके प्रयोग से बच्चे विचारों, व्यक्तियों और वस्तुओं तथा अपने आसपास के संसार से अपने आप को जोड़ पाते हैं। भारत एक बहुभाषिक देश है। हमारी यह भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती तो पेश करती ही है, साथ ही वह कई प्रकार के अवसर भी देती है। बच्चे अपनी मातृभाषा के साथ-साथ धीरे-धीरे कुछ अन्य भाषाएँ भी समझने, बोलने लगते हैं और बहुभाषाई वातावरण का उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बहुभाषिक देश होते हुए भी आज हमारे यहाँ कुछ भाषाओं का अधिक बोलबाला है (विषेशकर अँग्रेजी) जबकि कुछ भारतीय भाषाएँ धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही हैं। हमें अपनी बहुभाषाई धरोहर का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। बच्चों के विकास के लिए हिन्दी, अन्य भारतीय भाषाओं और अँग्रेज़ी का उचित प्रकार से समन्वय किये जाने की आवश्यकता है।

भाषा के माध्यम से मानव न केवल बोल पाता है बल्कि एक दूसरे के साथ संपर्क कर पाता है, और इस माध्यम से शिक्षा भी ग्रहण कर लेता है। भाषा के मौखिक और लिखित रूप होते हैं। इनके चलते शिक्षा पढ़कर, लिखकर तथा सुन कर ग्रहण की जाती है। विद्यार्थी, पर्यावरण, चित्र, हस्तकला, संगीत आदि से भी शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन लिखित रूप का महत्त्व अधिक है। शैक्षिक सामग्री– ग्रंथ, पुस्तक, लेख, कहानी, कविता आदि लिखित रूप में अधिक सकारात्मक हैं। इस कारणवश पढ़ाई लिखाई व शिक्षण में भाषा का योगदान महत्वपूर्ण है।

ऐसी स्थिति में भारत में शिक्षा कौन-सी भाषा में ग्रहण की जाए, यह मुद्दा जटिल बन गया है।

*4, माल अपार्टमेंट, माल रोड, दिल्ली-110054

भारत की अनेक भाषाएँ

भारत बहुभाषीय देश है। 1991 जगगणना के अनुसार भारत में 114 मातृभाषाएँ थीं। भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दे रखी है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और सरकारी कामकाज की भाषा है। अँग्रेज़ी भाषा को अतिरिक्त सरकारी कामकाज की भाषा का स्थान दिया गया है। सन् 1991 की जनगणना में लगभग 39% लोगों की मातृभाषा हिंदी थी। बंगाली 8.2% और तेलुगू 7.8% लोगों की मातृभाषा थी। सबसे कम 0.005% व्यक्तियों ने संस्कृत को मातृभाषा माना था। अंग्रेज़ी भाषा को मातृभाषा मानने वाले केवल 0.02% व्यक्ति थे।

दस साल बाद सन् 2001 की जनगणना में हिंदी बोलने वालों की सँख्या बढ़कर 41% हो गई। बँगाली व तेलुगू बोलने वालों की सँख्या थोड़ी बहुत घट गई थी (क्रमशः 8.1% व 7.3%)। जबकि अँग्रेज़ी बहुत कम लोगों की मातृभाषा है और उसको बोलने वाले भी कम हैं, फिर भी भारत में अँग्रेज़ी का महत्त्व सबसे अधिक है।

अँग्रेज़ी भाषा व स्कूली शिक्षा

अँग्रेज़ी भाषा की उपयोगिता व प्रभुत्व के कारण स्कूली शिक्षा में इसका पढ़ना-पढ़ाना अनिवार्य हो गया है। कुछ वर्ष पूर्व अनेक राज्यों में अँग्रेज़ी पाँचवी या छठी कक्षा से आरंभ की जाती थी लेकिन बच्चों के माता-पिता की माँग को देखते हुए, अधिकाँश राज्यों में अँग्रेज़ी अब तीसरी या पहली कक्षा से पढ़ाई जाती है। निजी (पब्लिक) स्कूलों में तो यह पहली या नर्सरी स्तर से ही पढ़ाई जाने लगी है। इन स्कूलों में अँग्रेज़ी भाषा एक विषय के रूप में ही नहीं बल्कि माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है। इसका अर्थ यह है कि गणित, विज्ञान या सामाजिक शिक्षा आदि की पुस्तकें अँग्रेज़ी भाषा में चलती हैं और इसी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया तथा समझाया जाता है।

शिक्षण व बच्चों का विकास

अँग्रेज़ी भाषा के बोलबाले के चलते, बच्चों के मानसिक व बौद्धिक विकास के संबंध में कुछ प्रश्न उठते हैं जिनकी मैं इस लेख में चर्चा करूँगा। शिक्षाशास्त्र (पैडागोजी) क्या रूप ले सकती है यह भी अहम मुद्दा बन गया है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का क्या भविष्य हो सकता है तथा उनका कैसे विकास हो सकता है इनके बारे में भी मैं अपनी दो बातें रखूँगा।

भारत में अनेक भाषाओं के चलते, बच्चे अपनी मातृभाषा तो समझते हैं व बोल पाते हैं। साथ-ही-साथ अपने क्षेत्र में चलने वाली एक दो अन्य भाषाओं से भी परिचित हो जाते हैं। यह स्थिति लगभग सभी राज्यों में देखी जाती है। उदाहरण के रूप में अगर हम झारखंड की बात करें तो गाँव हो या शहर अनेक आदिवासी बोलियाँ बोली जाती हैं। हिंदी भी विस्तृत रूप से चलती है। साथ-साथ मैथिली और भोजपुरी भाषाओं का भी चलन है। ऐसी स्थिति में अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त चार-पाँच साल के बच्चे दो-तीन अन्य भाषाएँ भी समझते तथा बोलते हैं।

यह स्थिति और भी मजबूत होती है जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। अगर पब्लिक स्कूल की

बात न की जाए तो हिंदी क्षेत्र में अधिकतर बच्चों की पढ़ाई हिंदी माध्यम से होती है– समझाने-बुझाने के लिए मातृभाषा या मैथिली, भोजपुरी भाषाओं का भी उपयोग होता है।

ये बच्चे घर में आदिवासी भाषा में बोलते हैं, स्कूल में हिंदी या भोजपुरी आदि में बात करते हैं। इस प्रक्रिया से बच्चों की न केवल भाषाई वृद्धि होती है बल्कि वे एक दूसरे के संस्कार व रीति रिवाज़ भी सीख पाते हैं। गाना-बजाना, खाना-पीना, तीज-त्यौहार भी अलग हो सकते हैं। जिन्हें बिना परेशानी के बच्चे ग्रहण कर लेते हैं। इस वातावरण में बच्चों का चौमुखी विकास होता है। शिक्षा का, भाषा का, गाने बजाने का आदि। अक्सर इन परिवारों की कहानियाँ भी अलग होती हैं जिनको सुनकर बच्चे खूब आनंद उठाते हैं। इस प्रक्रिया से बड़ी सहजता व स्वाभाविक ढंग से बराबरी व समानता की धारणा प्रबल होती है। बच्चों में जातिवाद की भावना का भी जन्म नहीं होता जिससे उनके माँ-बाप व समाज पीड़ित हैं।

जब मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी व अँग्रेज़ी भाषाओं का समन्वय होता है, तब बहुभाषावाद (बहुभाषाई वातावरण) का बच्चों के मानसिक तथा बौद्धिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह तथ्य मोहन्ती (1994, 2003) के शोध कार्य से प्रमाणित होता है।

एन.सी.ई.आर.टी. (2006)के भाषा पर पोजीशन पेपर में भी यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है। इस पेपर के अनुसार—

- बहुभाषावाद लाभदायक है और इसका उपयोग पढ़ने-पढ़ाने में किया जाना चाहिए।
- बहुभाषावाद, मानसिक व बौद्धिक विकास में गहरा संबंध है जिसके सही उपयोग से शिक्षण तथा सामाजिक मूल्यों का चौमुखी विकास होता है।
- मातृभाषा शिक्षा को न केवल माध्यम बल्कि पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग होना चाहिए।

ज़मीनी स्थिति

बहुभाषावाद के ऊपर दिए गए गुण तो शैक्षिक व सैद्धांतिक रूप से अच्छे लगते हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पर स्थिति काफी भिन्न है। जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं भारत में अँग्रेज़ी भाषा का बोलबाला और दबाव इतना अधिक है कि अनेक स्कूलों में अँग्रेज़ी पहली कक्षा से पढ़ाई जाने लगी है। अँग्रेज़ी माध्यम के स्कूल शहरों में तो पाए जाते ही हैं, अब तो कस्बों व दूर दराज के इलाकों में भी देखे जा सकते हैं।

भले ही इन स्कूलों में शैक्षिक सामग्री की कमी हो, कुर्सी मेज़ टूटे हुए हों, अध्यापकों की ट्रेनिंग न हुई हो, परन्तु 'इंगलिश मीडियम' के बड़े-बड़े बोर्ड ज़रूर देखे जा सकते हैं। वैसे अनेक सर्वेक्षणों से पता चलता है कि स्कूल अँग्रेज़ी या हिंदी माध्यम के भले ही हों, बच्चों के मानसिक व बौद्धिक विकास में कोई विशेष अन्तर नहीं पाया जाता।

अगर अँग्रेज़ी माध्यम के निजी स्कूलों का परिणाम अन्य स्कूलों की तुलना में बेहतर माना जाता है तो मुख्य तौर पर इसके निम्नलिखित कारण दिए जाते है:

- इन स्कूलों की हालत बेहतर होती है।
- शैक्षिक सामग्री (पुस्तकें, चार्ट, कंप्यूटर आदि) बेहतर होती हैं।

- अध्यापकों की बेहतर ट्रेनिंग तथा बेहतर वेतन दिया जाना।
- घरों में माँ-बाप का बच्चों की ओर अधिक ध्यान देना आदि।

कुछ समय पहले मुझे पुणे जाने का अवसर मिला था। वहाँ एक अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल खुला है जहाँ औसतन एक कक्षा में छः या आठ बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल साफ-सुथरा है, तरह-तरह की शैक्षिक सामग्री उपलब्ध है, अध्यापकगण नियमित ट्रेनिंग पा चुके हैं और उनका वेतन भी काफी अच्छा है। हाँ, पढ़ाई केवल अँग्रेजी भाषा में होती है। अगर हिंदी पढ़नी हो तो अतिरिक्त विषय के रूप में (जैसे फ्रैंच, जर्मन भाषा) पढ़ी जा सकती है। इस स्कूल की वार्षिक फीस दो लाख से अधिक है। क्या ऐसे स्कूल का प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा? ऐसे स्कूल व सरकारी स्कूल जिसकी हालत से हम परिचित हैं, तुलना करना व्यर्थ होगा।

यहाँ पर यह विचार करना आवश्यक है कि अच्छे स्कूल से हमारा क्या तात्पर्य है? एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा हाल ही में विकसित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 गुणवत्ता के मुद्दे पर अनेक जटिल और व्यावहारिक प्रश्न खड़े करती है और स्पष्ट तौर पर इंगित करती है कि यह विश्वास कि निजि स्कूल अपेक्षाकृत श्रेष्ठ होते हैं इस मान्यता से जनित है कि परीक्षा परिणाम ही शिक्षा के स्तर को परखने का एकमात्र मापदण्ड है। इस तरह की समझ सुविधासंपन्न निजि स्कूलों के माहौल-संबंधी सीमाओं पर ध्यान नहीं देती। यह तथ्य, कि ऐसे स्कूल प्रायः बच्चे की मातृभाषा की उपेक्षा करते हैं, हमारे समक्ष प्रश्न खड़ा करता है कि वे ज्ञान को सार्थक रुप से रचने के कितने अवसर बच्चों को दे पाएँगें। इसके ही साथ, प्रवेश प्रक्रिया में निर्धन वर्ग के बहिष्कार का अर्थ है कक्षा में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक व साँस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए बच्चों के बीच सीखने के अवसरों को खो देना।

शिक्षा, भाषा व भारतीय संविधान

हमारे उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा संबंधी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं (रवि पी.भाटिया, 2009)। इनमें से एक प्रमुख फैसला 6 से 14 वर्ष के बच्चों का मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार के संबंध में था। इसके चलते भारत गणराज्य ने सन् 2009 में 'बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम' (The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009) पारित कर दिया जिसका उद्देश्य इस मौलिक अधिकार को लागू करना है।

इस प्रावधान के अतिरिक्त संविधान की धारा 350ए में साफ शब्दों में लिखा गया है कि राज्यों को प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में पढ़ाने की सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहियें। इस प्रावधान का उद्देश्य स्पष्ट था– बच्चों का मानसिक विकास अपनी मातृभाषा में अच्छे ढंग से होता है। क्योंकि कई राज्यों में अनेक मातृभाषाएँ हैं (झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरपूर्वी राज्य आदि) सब मातृभाषाओं में पढ़ना-पढ़ाना सम्भव नहीं होता। ऐसी स्थिति में वहाँ की प्रचलित मुख्य भाषा में पढ़ाई उपलब्ध कराई जाती है। बच्चे आसानी से अपनी मातृभाषा के साथ-साथ एक या दो अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ भी

सीख लेते हैं। इस कारणवश क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाना ही उचित समझा जाता है।

इसके अनेक उदाहरण हैं। बम्बई में बच्चे मराठी, गुजराती व हिंदी सुनते हैं– स्वाभाविक है कि तीन या दो भाषाएँ समझते हैं और बोल भी लेते हैं। दिल्ली में भी गैर हिंदीभाषी मातृभाषा के साथ-साथ हिंदी में भी कोई कठिनाई महसूस नहीं करते। बल्कि कई तमिल, मलयाली, बंगाली माँ–बाप की यह शिकायत है कि उनके बच्चे अपनी मातृभाषा भूलते जा रहे हैं या टूटी-फूटी ही बोल पाते हैं। सिंधी भाषा तो दिल्ली से लगभग समाप्त हो गई है भले ही सिंधी अकादमी भरपूर कोशिश कर रही है कि सिंधी भाषा का विकास हो। उनके कार्यक्रमों में वृद्ध या मध्य आयु के लोग ही दिखते हैं– बच्चों को इन में कोई विशेष रुचि नहीं होती।

भारत में अँग्रेज़ी भाषा का स्थान

भारत में अँग्रेज़ी भाषा का क्या भविष्य है? क्या इसका प्रभुत्व कम हो सकता है? इन प्रश्नों पर कई विद्वानों में मतभेद है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अँग्रेज़ी भाषा का महत्व और उपयोगिता, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारवाद, अर्थव्यवस्था, कूटनीति, अमरीका का विश्व स्तर पर महाशक्ति बनना, के कारणवश उभरा है। इसके अलावा विज्ञान, टेक्नॉलोजी और इंटरनेट की मुख्य तौर पर भाषा अँग्रेज़ी ही है। यह भाषा समृद्ध है, चपल है। यही कारण है कि भारत में इस भाषा का बोलबाला है।

विश्व स्तर पर भी अंग्रेज़ी की उपयोगिता व प्रासंगिकता को माना गया है। यूरोप हो, अफ्रीका हो, चीन या अन्य एशियाई देश हों, सब देशों में अँग्रेंजी भाषा पढ़ी जाती है। परन्तु इन देशों में यह भाषा इतनी हावी नहीं है जैसे भारत में। उन देशों में अपनी भाषा में पढ़ना-पढ़ाना, बोलना एक राष्ट्रवाद का मुद्दा है जो कि भारत में ओझिल होता जा रहा है। हमें यह समझ विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए कि *'अँग्रेज़ी एकाकी नहीं है। अँग्रेज़ी शिक्षण का लक्ष्य ऐसे बहुभाषी लोगों को तैयार करना है जो हमारी भाषाओं को समृद्ध कर सकें, यह एक राष्ट्रीय दृष्टीकोण रहा है। विभिन्न राज्यों में अन्य भारतीय भाषाओं के साथ अँग्रेज़ी का स्थान बनाने की आवश्यकता है, जहाँ अन्य भाषाएँ अंग्रेज़ी सीखने-सिखाने को समृद्ध करें; और अँग्रेज़ी के वर्चस्व को कम करने के लिए अन्य भारतीय भाषाओं के मूल्यवर्धन की जरुरत है।' (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005)*

प्रो. जीत ओबराय दिल्ली विश्वविद्यालय के विख्यात समाजशास्त्री तथा विद्वान हैं। उनका मानना है कि जब तक हम अपने भगवान या ईष्टदेव से हिंदी (या अनेक राजभाषाओं) में नहीं बोलेंगे, हिंदी (या क्षेत्रीय भाषाओं) की दुर्दशा बनी रहेगी।

युरोपीय देश पहले अपने देवताओं से हीबरू, यूनानी (ग्रीक) या लैटिन भाषाओं में बात करते थे। इसका मतलब है कि ओल्ड टैस्टामेंट, बाइबल आदि ग्रंथ इन्हीं भाषाओं में लिखी गई थीं तथा धर्मिक गतिविधियाँ भी इन्हीं भाषाओं में चलती थीं। इन देशों में दर्शनशास्त्र, विज्ञान, गणित आदि की पुस्तकें भी इन्हीं भाषाओं में लिखी पढ़ी जाती थीं।

कई सदियों बाद धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद स्पैनिश, जर्मन, इटैलियन, फ्रैंच, रूसी, अँग्रेज़ी आदि भाषाओं में हो पाया। इसके बाद चर्च की

कार्यवाही इन्हीं राष्ट्रीय भाषाओं में होने लगी। विज्ञान व गणित आदि पुस्तकों का भी अनुवाद धीरे-धीरे होने लगा परन्तु यह कार्य कई वर्षों बाद हुआ। हमें याद रखना चाहिए कि प्रख्यात वैज्ञानिक-गणितज्ञ न्यूटन अपनी पुस्तकें लैटिन भाषा में लिखते थे। आज आवश्यकता है हिंदी, संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं में समसामयिक साहित्य का विकास करने की ताकि हमारी ये भाषाएँ फल-फूल सकेंगी और विनाश की ओर जाने से बच सकेंगी। प्रो. ओबराय की राय में तुलसीदास की लिखी रामचरित मानस व मीरा बाई के भजनों से हिंदी भाषा को खूब लाभ पहुँचा है। इसी प्रकार तमिल, कन्नड़, मलयाली, बँगाली, मराठी आदि भाषाओं में भी जाने माने संत तथा कवि हुए हैं जिनकी रचनाओं से इन भाषाओं का विकास हुआ है और प्रचलन बढ़ा है।

समापन शब्द

हमारी बहुभाषीय धरोहर, परम्परा व साहित्य का हमें भरपूर लाभ उठाना चाहिए। अंग्रेज़ी भाषा को हटाने की बात नहीं है– यह बहुत उपयोगी व प्रचलित भाषा है। परन्तु हमें इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिये। मातृभाषा हिंदी, अन्य भारतीय भाषाओं तथा अँग्रेज़ी का सही ढंग से समन्वय हो जाए तो बच्चों का मानसिक, बैद्धिक विकास होगा। साथ-ही-साथ भारतीय भाषाओं एवं देश की भी उन्नति होगी।

संदर्भ

मोहन्ती, ए. के. 1994. '*बाइलिग्वलिज्म इन ए मल्टी लिगुंअल सोसाइटी, साइकोसोशल एंड पैडागौगीकल इम्प्लिकेशन्स'*. मैसूर सैंट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डियन लैग्वेजेज.

_____ 2003. '*मल्टीलिंगुअलिज्म एन्ड मल्टीकल्चरिज्म दि कान्टेक्स्ट ऑफ साइकोलिग्विसटिक रिसर्च इन इण्डिया'* इन डी. विन्द्या (एड) साइकोलोजी इन इण्डिया, इन्टर सैक्टिंग क्रॉस रोड्स्. नई दिल्ली, कान्सेप्टस्.

भाटिया, रवि. पी. 2009. '*सुप्रिमकोर्ट रूलिंग ऑन डिफरेन्ट आसपेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इन इण्डिया : देअर स्कोप एण्ड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी*', पर्सपैक्टिव्स इन एजुकेशन. वोल्यूम 25, न.1, पृ 32-40.

बर्क, लॉरा इ 2006 संस्करण '*चाइल्ड डवलपमेंट*'. एलन एण्ड बेकन पब्लिशर्स.